

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

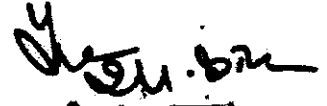
क्रमांक प.2(1)न्याय/2022

जयपुर दिनांक 24 AUG 2022

::अधिसूचना::

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(4)न्याय/2014 दिनांक 05.02.2015 की निरन्तरता में, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 10, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 11, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, बस्सी (जयपुर महानगर प्रथम), अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 10, जयपुर महानगर द्वितीय मुख्यालय चौमू को पारिवारिक न्यायालय की शक्तियां संबंधित न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अनुसार प्रदान की जाती हैं।

राज्यपाल के आदेश से,



(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/23/2022/...1361

Date: 30.8.2022

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned Courts.
4. Concerned Chief Judicial Magistrates.
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt./ S.C. Estt./ Statistics/ Computer Cell (for uploading the same on high court website) Rajasthan High Court Jodhpur.

11/30/8/2022
REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

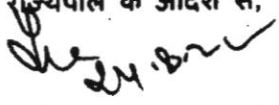
क्रमांक प.2(1)न्याय/2022

जयपुर दिनांक 24 AUG 2022

::अधिसूचना::

मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस बाबत पूर्व में जारी अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, जयपुर महानगर प्रथम एवं द्वितीय न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित अपर जिला न्यायालयों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के रूप में गठित करती है, तथा उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को संबंधित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है साथ ही उक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की बैठक का स्थान कॉलम संख्या 3 के अनुसार एवं उनका क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 के अनुसार निर्धारित करती है:-

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 10, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर	सांगानेर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 11, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर	सांगानेर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
3	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, बस्सी (जयपुर महानगर प्रथम)	बस्सी	स्थानीय क्षेत्राधिकार
4	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 10, जयपुर महानगर द्वितीय मुख्यालय चौमू	चौमू	स्थानीय क्षेत्राधिकार

राज्यपाल के आदेश से,

(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/23/2022/...1369

Date: 30/08/2022

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned Courts.
4. Concerned Chief Metro. Magistrates.
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt./ S.C. Estt./ Statistics/ Computer Cell (for uploading the same on high court website) Rajasthan High Court Jodhpur.

REGISTRAR (RULES)